न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 36 / 2018

बउनवान

रमेशचन्द उम्र 40 वर्ष पुत्र श्री धन्नालाल जाति–खाती निवासी–भटवाड़ा तहसील–मॉगरोल, जिला–बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री ओम भारद्वाज, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 10.01.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 25.01.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–भटवाडा, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 960 / 1703 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 640 / – रूपये अर्थदण्ड एंव तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों के विरूद्व एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट को निर्णय से पूर्व ना तो कोई नोटिस दिया है, ना ही कोई सूचना दी गई है। अपीलांट को उक्त कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं होने से निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को कोई सुनवाई अवसर व अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं रिया है। जबकि अपीलांट का वर्णित आराजी पर काई अतिक्रमण नहीं है तथा अपीलांट ने अतिक्रमण नहीं करने व छोड़ने बाबत शपथपत्र अपील के साथ संलग्न कर दिया है तथा जुर्माना भी जमा करा दिया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है तथा अपील उचित आधारों पर है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2018 निरस्त फरमाया जावे।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को कोई सूचना या नहीं अपीलांट को उक्त कार्यवाही की कोई जानकारी नही होने के कारण निर्णय निरस्त करने योग्य है।

3— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। अपीलांट ने तावान राशि भी जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.01.2018 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 61/17 निर्णय दिनांक 24.03.2017 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का [illegible] किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार [illegible] द्वारा अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई का समुचित [illegible] प्रदान कर [illegible] पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है, जो प्रतिबंधित [illegible] आती है। अपीलांट का उक्त आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण [illegible] है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिचार करने पर [illegible] 61/17 निर्णय दिनांक 24.03.2017 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। [illegible] न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपील [illegible] होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 42/2018 में पारित आदेश दिनांक 25.01.2018 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official